न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

125

निगरानी प्रकरण कमांकः /2017 PBR/निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2017/6267

श्री डी0के0 शुक्ला एड. द्वारा आज दि. 26-12-17 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-1-2018 नियत। कलर्क ऑफ कोर्ट 26-12-17 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1— पान खां पिता दिलावर खां जाति मुसलमान उम्र 66 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 12 जोशी मोहल्ला खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

2— श्रीमती लीलाबाई पुत्र चुन्नीलाल माली निवासी खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

———— आवेदकगण

बनाम

1— मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार, खिलचीपुर, राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

2— राजेन्द्र प्रसाद पिता भेरूलाल नामदेव उम्र 46 वर्ष निवासी क्षीर सागर, पुलिया के पास, वार्ड कमांक 13, खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

———— अनावेदक

D.K. Shukla (Advocate) 26/12/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता न्यायालय तहसीलदार खिलचीपुर द्वारा प्रकरण कमांक 325/1बी–121/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–05–2017 (This case is continued)के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों, आधारों पर प्रस्तुत है:—

1— यहकि, उक्त विवादित प्रकरण शिकायत जांच बावत श्री गोवर्धन सिंह भिलाला, निवासी ग्राम जैतपुराकला जिला खिलचीपुर द्वारा एक आवेदन पत्र माननीय प्रभारी मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया के दिनांक 14–04–2017 को भ्रमण दौरान पेश कर निवेदन किया कि नगर खिलचीपुर में स्थित शासकीय जमीन को बेचने एवं खरीदने वाले तथा राजस्व दस्तावेज में अवैध रूप से नामान्तरण करने वाले तथा शासकीय भूमि नजूल क्षेत्र में अतिकमण करने की शिकायत की गई है। उक्त प्रकरण की शिकायत जांच हेतु दिनांक 6–5–2017 को श्रीमान् एस.डी.ओ. महोदय जी द्वारा तहसीलदार को निराकरण हेतु भेजा गया और तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 325/1बी–121/16–17 को दिनांक 11–5–2017 में पंजीबद्ध किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अध्यक्ष/निगरानी/राजगढ/भूरा/2017/6267

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.1.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 के0 शुक्ला उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है। अब प्रकरण नहीं चलाना चाहते है। 2—आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदक एवं अनावेदक के दस्तावेज प्रमाणित किया गया है। प्रकरण में समझौता आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य समझौता होने पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	